महापर्व छठ:भगवान सूर्यको प्रथम अर्घ्य आज

खरना कर महिलाओं ने रखा ३६ घंटे का निर्जला व्रत

जबलपुर, (एजेंसी)। महापर्व छठ के प्रति उत्तर भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह एवं उमंग संस्कारधानी में दिख रहा हैं। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ महापर्व के दूसरा दिन शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य और को शनिवार उदयगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य का संकल्प पूरा करने के लिए व्रतियों ने खरना किया। व्रती दिनभर उपवास के बाद शाम को स्नान कर छठी मइया को गुड़ का खीर रसिआव और गेहूं की रोटी का भोग लगाएगी और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य के लिए संकल्प लिया। सूर्यास्त के बाद कुलदेवता की पूजा की। खरना के साथ ही व्रतियों का ३६ घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। शनिवार को अस्त होते सूर्य और रविवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के बाद महापर्व छठ का समापन होगा। शहर में लोकआस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय.खाये के साथ शुरू हुआ। दूसरे दिन शनिवार को खरना हुआ। वहीं प्रसाद बनाने के लिये आम की लकड़ी और मिट्टी से बने चूल्हे की खरीद भी होती रही। फलों की मंडियों में भी उल्लास का वातावरण दिखा और अर्घ्य के लिये फलों की खरीद देर शाम तक चलती रही। प्रसाद बनाने के लिए श्रद्धालु गंगाजल भी ले गए। घाट से लेकर घर की छतों पर व्रतियों के छठ गीत से वातावरण पावन हो गया। व्रतियों ने नर्मदा सहित विभिन्न तालाबों के घाटों पर स्नान कर छठी मइया के गीत गाये और अनेक स्थानों पर महिलाओं ने घाट पर बनाई गई बेबी की पूजा की जिसे हम घाट पूजा कहते हैं।

छठ का पौराणिक तथ्य

डूबते सूरज को अर्घ्य छठ पर्व पर पहले डूबते सूरज और फिर ऊगते सूरज की पूजा कि जाती है। साथ ही महिलाएं कमर तक पानी में खड़ी रहती हैं। इस उल्टे क्रम के पीछे पौराणिक कारण हैं। मान्यताओं के अनुसार राक्षस तारकासुर का वध करने हेतु भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही छह मातृकायें प्रकट हुई जो भगवान कार्तिकेय की देखभाल करती थी। जब तारकासुर का भय चरम पर था तभी भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने के लिए युद्ध किया और उसको मारने के लिए वे तारकासुर के पीछे दौड़े, उनके पीछे उनकी छह मातृकायें भी दौड़ी। भगवान कार्तिकेय दौड़ते हुए नदी पार कर गए किंतु माताओं का पैर नदी में ही फंस गया। जिसके कारण वे आगे नही बढ़ सकीं। उस समय भगवान सूर्य के अस्त होने का समय था। सभी माताएं नदी में ही खड़े रहकर सूर्य देव से पुत्र के लिए मंगलकामना करती रहीं। दूसरे दिन सूर्योदय के समय कार्तिकेय तारकासुर का वध करने तक मातायें उसी अवस्था में नदी में रहकर प्रार्थना करती रहीं। यही छह मात्रिकायें छठ मइया कहलाईं। तभी से कार्तिक मास की षष्ठी को माताएं अपने पुत्रों की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं एवं शाम के समय पहले सूर्यास्त के समय प्रथम अर्घ्य एवं दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के समय द्वितीय अर्घ्य देती है।

पेंशनरों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन

जबलपुर, (एजेंसी)। प्रदेश के करीब पांच लाख पेंशनरों की लंबित मांगों और उनके हितों की अनदेखी को लेकर अब आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। जबलपुर प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर पेंशनरों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. अरुण पाण्डेय एवं संभागीय अध्यक्ष के.पी. शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। इससे पेंशनरों में आक्रोश बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने महंगाई राहत (डीआर) का तीन प्रतिशत बकाया जुलाई २०२६ से देने, ७१ माह के एरियर्स का भुगतान, चिकित्सा क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिमाह १० हजार रुपये देने, निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने जैसी मांगें उठाई हैं। इस संबंध में डॉ. अरुण पाण्डेय, के.पी. शुक्ला, अशोक शिवहरे, के.के. शुक्ला, आर.के. प्यासी, जी.डब्ल्यू. रत्नापारखी, डी.डी. शर्मा, आर.एल. पाण्डेय, यू.के. पाण्डेय, प्रफुल्ल तिवारी, अशोक दुबे, के.के. गर्ग, पुष्पलता त्रिपाठी, रजनी राठौर, सुशीला पटेल, डॉ. भारती पाठक, डॉ. आर.के. कुर्मी, डॉ. अविनाश श्रीवास्तव, डॉ. विनोद बाजपेयी, डॉ. एम.एल.बी. राव, डॉ. अनिल गौर, डॉ. ओ.पी. श्रीवास्तव, डॉ. के.के. द्विवेदी, डॉ. पी.के. दुबे, डॉ. पी.के. तिवारी, डॉ. हरीश पाठक एवं डॉ. दीप्ति सिंह तलुजा सहित अन्य सदस्यों ने मांगों के समर्थन में आवाज उठाई है।

बसोंकी मनमानी और कमाईपर सरकार की नजर

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवाकी निगरानीके लिए राज्य स्तरीय समिति गठित, संचालनसे लेकर राजस्व और यात्री सुविधाओं तक की होगी समीक्षा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने अब निगरानी का नया तंत्र तैयार किया है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत संचालित बसों की गुणवत्ता, संचालन व्यवस्था और उनसे होने वाली कमाई पर सीधे उच्चस्तरीय नजर रखी जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति गठित की गई है। अब तक बस सेवाओं के संचालन और व्यवस्थागत सुधार की जिम्मेदारी अलग-अलग स्तरों पर निभाई जा रही थी, लेकिन नई समिति के गठन से परिवहन व्यवस्था की समीक्षा को एक केंद्रीकृत स्वरूप मिलेगा। समिति न केवल बस सेवाओं की स्थिति का आकलन करेगी, बल्कि राजस्व संग्रहण, वित्तीय पारदर्शिता और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी नजर रखेगी।

नई व्यवस्था में बस संचालन से होने वाली आय और वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु होंगे। समिति नियमित रूप से राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही यह भी देखेगी कि परिवहन सेवा के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता बनी हुई है या नहीं। सरकार का जोर केवल बसों को सडक़ों पर उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं की दक्षता और आर्थिक जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी है। इससे योजना के तहत होने वाले खर्च और उससे मिलने वाले परिणामों का आकलन करने में मदद मिलेगी।

जिला स्तर से राज्य स्तर तक निगरानी का ढांचा

समिति राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी, सहायक क्षेत्रीय कंपनियों और जिला स्तरीय यात्री परिवहन समितियों के माध्यम से संचालित व्यवस्था की समीक्षा करेगी। इसका उद्देश्य परिवहन सेवाओं के संचालन में विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय बढ़ाना और जवाबदेही तय करना है। समिति सुगम, सुरक्षित, दक्ष और विनियमित यात्री परिवहन व्यवस्था के लिए आवश्यक सुधारों की अनुशंसा भी करेगी। बसों के संचालन से लेकर रखरखाव और परिवहन अधोसंरचना के उन्नयन तक के विषय इसके दायरे में रहेंगे।

सड़क से बस स्टाप तक सुविधाओं पर फोकस

बस परिवहन के लिए जरूरी अधोसंरचना का निर्माण, संचालन, रखरखाव और अपग्रेडेशन भी समिति की समीक्षा में शामिल रहेगा। यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। इसमें परिवहन व्यवस्था की गुणवत्ता के साथ-साथ उसकी व्यावहारिक उपयोगिता का आकलन भी महत्वपूर्ण होगा। यानी बस सेवा का विस्तार करने के साथ यह देखना भी जरूरी होगा कि यात्रियों को वास्तव में कितनी बेहतर सुविधा मिल रही है।

छह विभागों के अधिकारी होंगे सदस्य

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में नगरीय विकास एवं आवास, गृह, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआइ भी समिति में सदस्य होंगे। परिवहन विभाग के सचिव को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्णय मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक और मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक मंडल की सहमति के बाद लिया है।

९० लाखके बैंक ऋणमें फर्जी गारंटर बनाकर ७५ लाख हड़पे

आधार-पैन कार्ड में नाम और फोटो की कूटरचना कर बैंक को लगाया चूना

जबलपुर, (एजेंसी)। बैंक से करोड़ों रुपये का ऋण हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज और दूसरे व्यक्तियों की पहचान का इस्तेमाल करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपियों ने कथित रूप से आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम व फोटो की कूटरचना कर दो व्यक्तियों का प्रतिरूपण किया और बैंक ऑफ इंडिया की नर्मदा रोड शाखा से ९० लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करा लिया। जांच में सामने आया कि स्वीकृत राशि में से ७५ लाख रुपये प्राप्त कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बिना जानकारी के बना दिया ९० लाख के ऋण का गारंटर

गोहलपुर थाना क्षेत्र के नया पुल, नालबंद मोहल्ला निवासी ६३ वर्षीय दिलदार हुसैन ने शिकायत में बताया कि उन्हें बैंक ऑफ इंडिया की नर्मदा रोड शाखा की ओर से ३० दिसंबर २०२५ को सूचना पत्र और २ जनवरी २०२६ को विधिक नोटिस मिला। इसमें उन्हें मेसर्स ए.बी.एस. काम नामक पार्टनरशिप फर्म के ९० लाख रुपये के ऋण में गारंटर बताया गया था। फरियादी का कहना है कि उन्होंने न तो कभी इस फर्म के लिए गारंटी दी और न ही बैंक में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न अथवा संपत्ति संबंधी कोई दस्तावेज जमा किए। इसके बावजूद उन्हें ऋण का गारंटर दर्शा दिया गया।

दूसरे की जमीन पर भी फर्जी ऋण का मामला आया सामने

शिकायत में एक अन्य घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया है। २३ दिसंबर २०२५ को कुछ बैंक कर्मचारी ग्राम खैरी, तहसील पनागर स्थित एक प्लॉट पर पहुंचे थे। यह प्लॉट फरियादी द्वारा पूर्व में श्रीमती मोनिका ताम्रकार को विक्रय किया जा चुका था, जिस पर गोदाम बना हुआ है। बैंक कर्मचारियों ने कथित तौर पर गोदाम वाले प्लॉट पर ७० लाख रुपये का ऋण स्वीकृत होने की जानकारी दी। इस दौरान वैल्यूएशन रिपोर्ट और ऋण लेने वाले की फोटो भी दिखाई गई। रिपोर्ट में दिलदार हुसैन का नाम और पता दर्ज था, जबकि फोटो किसी अन्य व्यक्ति की थी। इसके बाद फरियादी ने विभिन्न थानों और संबंधित बैंक में शिकायत की। पुलिस जांच में बैंक से प्राप्त दस्तावेजों और गवाहों के कथनों के आधार पर तीन आरोपियों की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। इनमें बाबी खान निवासी न्यू आनंद नगर आधारताल, जमील अली निवासी बड़ा मदार छल्ला और मोहम्मद हबीब निवासी गोहलपुर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित आपराधिक षडयंत्र के तहत आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम तथा फोटो की कूटरचना की। जमील अली को कथित वकील अहमद और मोहम्मद हबीब को कथित दिलदार हुसैन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह फर्जी पहचान के आधार पर बैंक ऑफ इंडिया की नर्मदा रोड शाखा से ९० लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया और ७५ लाख रुपये प्राप्त कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१९(२), ३१८(४), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) एवं ६१ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामले में बैंक के दस्तावेजों और ऋण प्रक्रियाकी जांच की जा रही है।

किसान के तालाब में मगरमच्छ का डेरा, एक माह से मचा रहा तबाही

चार फीट लंबे मगरमच्छ के शिकार बन रहीं मछलियां, वन विभाग का रेस्क्यू अभियान ठप

जबलपुर, (एजेंसी)। घाना क्षेत्र में किसान जयदीप यादव के खेत में बने मछली पालन तालाब में पिछले एक माह से करीब चार फीट लंबे मगरमच्छ ने डेरा जमा रखा है। एक्वाकल्चर तकनीक से तैयार इस तालाब में मगरमच्छ लगातार मछलियों का शिकार कर रहा है, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की वॉलेंटियर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आवश्यक संसाधनों के अभाव में मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्य शंकरेंदुनाथ के अनुसार मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विशेष जाल और सुरक्षा उपकरणों की जरूरत है। इनके बिना अभियान चलाना बेहद जोखिम भरा है। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिली। टीम के सदस्यों के पहुंचने की आहट मिलते ही मगरमच्छ गहरे पानी में चला जाता है। बताया गया है कि रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ कई बार टीम के सदस्यों पर हमला करने की कोशिश भी कर चुका है।

जाल और सुरक्षा उपकरणों के अभाव में रुका रेस्क्यू

रेस्क्यू टीम की ओर से वन विभाग के अधिकारियों से विशेष जाल और आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन सामग्री उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया गया। इसके चलते अभियान ठप पड़ा है। मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों और खेत मालिक में नाराजगी है। उनका कहना है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

मछलियों का शिकार कर रहा मगरमच्छ, किसान परेशान

तालाब मालिक जयदीप यादव ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत और पूंजी लगाकर खेत में तालाब तैयार कराया था और आधुनिक पद्धति से मछली पालन शुरू किया था। मगरमच्छ के तालाब में आने के बाद से मछलियां लगातार उसका शिकार बन रही हैं। इससे मत्स्य उत्पादन प्रभावित हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान ने वन विभाग से जल्द से जल्द मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कराने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है।

भोपाल में डेंगू का डंक तेज, २०६ मरीज मिले

भोपाल (ईएमएस)। राजधानी में डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बना हुआ है। वर्ष २०२६ में अब तक डेंगू के २०६ और मलेरिया के १३ मरीज सामने आ चुके हैं। मच्छरों के प्रजनन स्थलों की तलाश में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें घर-घर सर्वे कर रही हैं, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि शहर में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अब भी मौजूद हैं। सितंबर से अब तक ८९ हजार ७०२ घरों की जांच की गई। इनमें ४ हजार २०८ घरों में मच्छरों का लार्वा मिला। यानी सर्वे किए गए करीब ४.७ प्रतिशत घरों में लार्वा की मौजूदगी पाई गई।

चाकू की नोक पर लूट की तीन वारदातें

बैंक मैनेजर से ९० हजार युवक से ४७ हजार की लूट युवती का मोबाइल छीना

जबलपुर, (एजेंसी)। जिले में चाकू की नोक पर लूट और मोबाइल छिनैती की तीन वारदातें सामने आई हैं। पनागर में निजी बैंक के मैनेजर से बदमाशों ने करीब ९० हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया। दूसरी घटना में चंडी मेला देखकर लौट रहे युवक और उसके साथी को चार बदमाशों ने चाकू और हथियार की नोक पर रोककर नकदी व मोबाइल छीन लिया। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में हॉस्टल जा रही युवती का करीब ४० हजार रुपये कीमत का मोबाइल बाइक सवार बदमाश छीनकर फरार हो गए। तीनों मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बैंक मैनेजर से ८९,९२९ रुपये की लूट

पनागर पुलिस ने बताया कि पनागर निवासी भोले यादव क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, बैंगलोर के पनागर ब्रांच कार्यालय में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। शुक्रवार को वह टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल से किस्त कलेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे। ग्राम रिठौरी, छितरी, तिलगवां और गाजर से समूह के सदस्यों से कुल ८९ हजार ९२९ रुपये की किस्त वसूलकर बैग में रखकर पनागर लौट रहे थे। गत दिवस दोपहर करीब १:३० बजे तिलगवां और एलपीआर के बीच मुख्य मार्ग पर टर्निंग के पास बिना नंबर की ग्रे रंग की स्कूटी खड़ी थी। वहां तीन युवक मौजूद थे। एक युवक ने उन्हें रुकने का इशारा किया। संदेह होने पर उन्होंने बाइक निकालने का प्रयास किया, तभी एक बदमाश ने बाइक की चाबी निकाल ली और दूसरे ने चाकू अड़ाकर बैग देने की धमकी दी। बदमाश बैग में रखे ८९ हजार ९२९ रुपये और उनका मोबाइल लूटकर एलपीआर की ओर फरार हो गए।

चंडी मेला देखकर लौट रहे युवक से ४७,६५० रुपये लूटे

दूसरी घटना में भरदा निवासी रूपेश बर्मन ने पुलिस को बताया कि वह बोरवेल का काम करता है। शुक्रवार को वह अपने साथी अनुज रजक के साथ पड़रिया चंडी मेला देखने गया था। वहां से काम के सिलसिले में निपनिया जाने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रात करीब १०:१५ बजे ग्राम भरदा में बड़गैया वेयरहाउस के पास पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर चार युवक आए और उनका रास्ता रोक लिया। एक बदमाश ने रूपेश को चाकू अड़ा दिया और स्मगलिंग करने का आरोप लगाते हुए धमकाने लगा। इसके बाद चारों बदमाशों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनके पास रखे रुपये छीनने लगे। विरोध करने पर एक बदमाश ने चाकू से रूपेश की जांघ के पास हमला किया, जबकि दूसरे ने कट्टे की बट जैसी वस्तु से उसके सिर पर वार किया। अनुज के सिर पर भी किसी वस्तु से हमला किया गया। बदमाश रूपेश की जेब से ४४ हजार ७५० रुपये, अनुज के पास से २ हजार ९०० रुपये और मोटोरोला कंपनी का एच-१७ फ्यूजन मोबाइल छीनकर जलगांव-निपनिया की ओर भाग गए।

हास्टल जा रही युवती का मोबाइल छीना

तीसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार सिवनी निवासी रजनी सल्लाम लता गर्ल्स हॉस्टल से रैपिडो ऑटो से अपने हॉस्टल लौट रही थी। रास्ते में ओटीपी बताने के लिए उसने बैग से मोबाइल निकाला। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो युवक उसका करीब ४० हजार रुपये कीमत का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

शादी समारोह में मारपीट करने वाले २ सगे भाइयों को १-१ साल की सजा

पाटन न्यायालय ने सुनाया फैसला, ७००-७०० रुपये का जुर्माना भी लगाया

जबलपुर, (एजेंसी)। शादी की खुशियों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करना दो सगे भाइयों को महंगा पड़ गया। पाटन न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और ७००-७०० रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने दोनों को मारपीट के अलग-अलग अपराधों में भी सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार, ८ अप्रैल २०१७ को कैलाश बर्मन अपनी मामी सास की बेटी विनीता बर्मन के लग्नोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के दौरान अशोक बर्मन, नंदू उर्फ बाबा बर्मन और शनि बर्मन वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर कैलाश के साथ गाली-गलौज करने लगे। कैलाश ने विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। कैलाश की आवाज सुनकर उनके बेटे अमित बर्मन, अमन बर्मन और ब्रजेश बर्मन बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना में कैलाश के बाएं पैर और हाथ के अंगूठे में चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे गुड्डा बर्मन और गणेश बर्मन ने घटना देखी। आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद कैलाश ने कटंगी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने अपराध क्रमांक १११/२०१७ के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा २९४, ३२३, ५०६ और ३४ के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जांच के दौरान आहत अमित के पैर में अस्थिभंग (फ्रैक्चर) की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा ३२५ भी जोड़ी गई। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवानदास पटेल ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। मामले में कुल आठ अभियोजन साक्षियों के बयान कराए गए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन ने ३५ वर्षीय अशोक बर्मन और ४५ वर्षीय नंदू उर्फ बाबा बर्मन दोनों निवासी वार्ड नंबर १५, कोरी मोहल्ला, कटंगी को दोषी ठहराया और सजा सुना दी।

१७ आईएएस के खिलाफ सीएसओ को मिलीं गंभीर शिकायतें

कलेक्टर से लेकर विभागाध्यक्ष पर मनमानी, कथित भ्रष्टाचार के आरोप

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन आईएएस अफसरों के खिलाफ मुख्य सचिव कार्यालय को गंभीर प्रकार की शिकायतें मिली हैं। शिकायतों में अफसरों पर मनमानी, भ्रष्टाचार एवं चहेतों के पक्ष में काम करने के आरोप हैं। जिन अफसरों के खिलाफ शिकायतें पहुंची है, उनमें ज्यादातर फील्ड में पदस्थ हैं। मंत्रालय एवं विभागाध्यक्षों पर भी गंभीर किस्म के आरोप हैं। फिलहाल किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतों के परीक्षण के बाद अगली तबादला सूची में अफसरों की नई जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

मुख्य सचिव कार्यालय (सीएसओ)को जो शिकायतें मिली हैं, वे मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति कार्यालय को भी भेजी गई हैं। एक महिला कलेक्टर पर सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों की शिकायत हैं। एक बड़े जिले के कलेक्टर पर जमीनों के प्रकरणों में ज्यादा रुचि दिखाने जैसे आरोप है। एक अन्य बड़े जिले के कलेक्टर के खिलाफ ऐसी शिकायत है कि वे बिना सिफारिश के काम नहीं करते हैं। इसी तरह एक कलेक्टर के खिलाफ अक्सर मुख्यालय छोडऩे जैसे आरोप हैं। मंत्रालय में पदस्थ दो सचिव स्तर के अधिकारियों की मनमानी की शिकायत भी हैं। जिनमें एक महिला अधिकारी का नाम है। जबकि आधा दर्जन विभागाध्यक्षों पर भी कार्यालय में कम उपस्थित रहने के आरोप हैं। तीन प्रबंध संचालक पर ठेकों में मनमानी एवं नियम प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप हैं। बताया गया जिन अफसरों के खिलाफ शिकायत हैं, उनमें कुछ पर एक से ज्यादा दायित्व भी हैं।

किसी शिकायत पर नहीं होगी सीधी कार्रवाई!

आईएएस अफसरों के खिलाफ अक्सर शिकायतें शासन तक पहुंचती हैं, जिनमें भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोप लगते हैं। सामान्यत: ऐसी शिकायतों पर आईएएस अफसरों पर सीधी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अति गंभीर शिकायत होने की स्थिति में अधिकारी का तबादला मात्र होता है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। इस संबंध में सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ने बताया कि मैदानी अफसरों के खिलाफ हर शिकायत पर कार्रवाई करेंगे तो वे काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि शिकायत की गंभीरता को जरूर देखा जाता है। गंभीर स्थिति में सरकार त्वरित निर्णय लेती है।

भेड़ाघाट में युवक पर ८ से १० बदमाशों का हमला

शराब के लिए पैसे देने से इंकार करने पर बेसबॉल बैट से कार में तोड़फोड़

जबलपुर, (एजेंसी)। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज और वाहन में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। गढ़ा थाना क्षेत्र निवासी संस्कार जैन की शिकायत पर पुलिस ने प्रतीक ठाकुर और उसके ८ से १० साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि बदमाशों ने शराब पीने के लिए पैसों की मांग की और इनकार करने पर संस्कार जैन के साथ मारपीट करते हुए बेसबॉल बैट से उनकी कार के कांच तोड़ दिए। हमले में संस्कार जैन घायल हो गए। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, ९ नवंबर की रात संस्कार जैन अपने दोस्त अचिन्त्य झारिया, हिमांशु बघेला और विवेक चक्रवर्ती के साथ खाना खाने गए थे। १० नवंबर की सुबह करीब ३ बजे वे आदिनाथ स्टील कंपनी गेट के पास अपने वाहन लेने पहुंचे। इसी दौरान सफेद बोलेरो सहित अन्य वाहनों से कुछ लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि प्रतीक ठाकुर ने संस्कार जैन से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विवाद बढ़ गया। शिकायत के मुताबिक, विवाद के दौरान आरोपियों ने बेसबॉल बैट से कार के कांच तोड़ दिए। इसी दौरान संस्कार जैन के सिर पर भी बेसबॉल बैट से हमला किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी ने नुकीली वस्तु से उनके पैर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई और खून निकलने लगा। दोस्तों ने बीच-बचाव किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल संस्कार जैन को उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

विवादों में घिरे वीरेंद्र तिवारी को पद से हटाया

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों के निजी स्टाफ को लेकर चल रही सख्ती और विवादों के बीच एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। उप मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) को हटाए जाने के बाद अब स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के ओएसडी वीरेंद्र तिवारी की भी छुट्टी कर दी गई है। विवादों में घिरने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से ओएसडी पद से हटा दिया गया है। प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में मंत्रियों के स्टाफ से जुड़ा यह दूसरा बड़ा मामला है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, वीरेंद्र तिवारी की नियुक्ति और कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। वीरेंद्र तिवारी मूल रूपसे नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

१५० रुपये किलो तक पहुंची तुअर दाल

शादी के सीजन में महंगाई का तडक़ा: दीपावली के बाद दालों और बेसन के दामों में उछाल

भोपाल, (एजेंसी)। दीपावली के बाद शुरू हुए शादियों के सीजन के बीच राजधानी भोपाल के लोगों पर महंगाई की मार पडऩे लगी है। रसोई के बजट को बिगाड़ते हुए दालों और बेसन की कीमतों में तेज उछाल आया है। थोक और खुदरा बाजार में तुअर दाल १२ रुपये और चना दाल ५ रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है, जबकि बेसन के दामों में भी १० रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बाजार जानकारों के मुताबिक, दीपावली के बाद से ही दालों की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। शादियों और मांगलिक आयोजनों के चलते बढ़ी मांग ने कीमतों को और हवा दे दी है। भोपाल में प्रतिदिन ८०० टन से अधिक खाद्य सामग्री की खपत होती है, ऐसे में दाम बढऩे का सीधा असर आम उपभोक्ताओं और कैटरिंग कारोबारियों की जेब पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ रही कीमतों ने न केवल आम गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, बल्कि जिन परिवारों में शादियां हैं, उनका खर्च भी अनुमान से काफी ऊपर जा रहा है। तुअर दाल के १५० रुपये प्रति किलो और बेसन के १०५ रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से मिठाई, नमकीन और भोज की लागत में सीधा इजाफा हुआ है। फिलहाल बाजार में आवक और मांग के अंतर को देखते हुए आने वाले दिनों में भी कीमतों में बड़ी राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।

होटल में युवती के साथ मिला मुस्लिम युवक, गया जेल

खिड़की से छलांग लगाकर किया भागने की कोशिश

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी थाना इलाके में स्थित हिमतारा होटल में हिंदु युवती और मुस्लिम युवक ने पकड़े जाने के बाद कमरे से भागने के लिये खिड़की से छलांग लगा दी। नीचे बने टीन शेड पर कूदने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की। लेकिन करीब ५० फीट तक आगे जाने के बाद टीन शेड खत्म हो गया आगे गिरने का खतरा देख दोनों वापस लौट आए। इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना १२ नवंबर की शाम की है, जबकि इसका वीडियो १४ नवंबर को सामने आया है। बताया गया है कि पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को होटल में युवक-युवती के होने की सूचना मिली थी। कार्यकर्ता जब कमरे के बाहर पहुंचे तो अंदर मौजूद युवक और युवती घबराकर बाहर निकलने के लिये खिड़की के रास्ते से भागने लगे। दोनो टीन शेड पर कूदकर भागने लगे। लेकिन कुछ दूरी पर रास्ता खत्म होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। मामले में आरोपी युवक सलमान खान नाम के युवक को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा १५१ के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि युवक ने युवती की मुस्लिम नाम से फर्जी आईडी तैयार कराई थी। इसी आईडी का इस्तेमाल कर होटल में कमरा बुक किया गया था। पुलिस अब जांच कर रही है कि युवती के नाम से फर्जी आईडी किसने और कैसे तैयार की। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और फर्जी आईडी के इस्तेमाल की जांच कर रही है। घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें युवक को पकड़ने के बाद कार्यकर्ता